**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3527**
**दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए**

# बच्चों में कुपोषण और बौनापन

**3527. श्री विष्णु दयाल रामः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छह वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन, कमजोर विकास और कुपोषण की राज्यवार वर्तमान दर कितनी है;

(ख) मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार आईसीडीएस ने इन चुनौतियों से निपटने में कहाँ तक योगदान दिया है;

(ग) क्या सरकार ने कुपोषण और बौनेपन को कम करने के लिए स्थान-विशिष्ट कार्यनीतियों की पहचान की है और उन्हें लागू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) से (घ): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके कार्यान्वयन और गतिविधियों के दैनिक निष्पादन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन व्यापक योजना है जिसमें पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी लाभार्थी के लिए कोई प्रवेश बाधा नहीं है। यह मिशन पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन एक प्रमुख कार्यकलाप है जिसके माध्यम से लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जन-आंदोलन चलाया जाता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को

प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

वर्ष 2021 में, विश्व बैंक ने 11 प्राथमिकता वाले राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में एक सर्वेक्षण किया, जहां रक्ताल्पता और ठिगनेपन की दर सबसे अधिक थी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पोषण सेवाओं की प्रदायगी के कार्यक्रम का आकलन करना था कि क्या लाभार्थियों के पोषण संबंधी ज्ञान में सुधार हुआ है और क्या उन्होंने अधिक उपयुक्त पोषण और भोजन पद्धतियों को अपनाया है।

आकलन के निष्कर्षों ने दर्शाया कि पोषण अभियान के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं - प्रासंगिक संदेशों की प्राप्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा घर का दौरा और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में उपस्थिति - बेहतर पोषण व्यवहार से जुड़ी थीं। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि कार्यक्रम के पोषण संदेश 80% से अधिक महिलाओं तक पहुंचे और 81% महिलाओं ने पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराया।

कुपोषण को कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्यनीतियां इस प्रकार हैं:

- ग्राम पंचायतों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहन की व्यवस्था के माध्यम से पोषण में सुधार हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करने हेतु सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया है।
- किशोरियों के लिए योजना, जिसे मिशन पोषण 2.0 में शामिल कर लिया गया है, के तहत 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों (आकांक्षी जिलों और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में) को पोषण घटक के तहत उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाती है और योजना के गैर-पोषण घटक के तहत आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा कौशल विकास आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
- 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण प्रदायगी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और विकास प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं। अब तक, देश भर में 16095 आंगनवाड़ी केंद्रों का सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अनुमोदन किया गया है।

- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए पीएम जनमन मिशन का उद्देश्य 18 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना है। इस मिशन में महिला और बाल विकास मंत्रालय सहित 9 प्रमुख मंत्रालयों से संबंधित 11 महत्वपूर्ण पहलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब तक, देश भर में पीएम जनमन के तहत निर्माण के लिए कुल 2139 आंगनवाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया गया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उन्नत अभियान (डीएजेजीयूए) शुरू किया है जिसका उद्देश्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ब्लॉक एसटी गांवों में जनजातीय परिवारों की संतृप्ति कवरेज को अपनाकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल में वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 तक 2000 नए सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना और 6000 मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करना शामिल है। आज की तारीख तक, देश भर में डीएजेजीयूए के तहत निर्माण के लिए कुल 236 आंगनवाड़ी केंद्रों का अनुमोदन किया गया है।

बच्चों की राज्य-वार कुपोषण स्थिति संलग्न है।

*****

**अनुलग्नक**

"बच्चों में कुपोषण और बौनापन" के संबंध में श्री विष्णु दयाल राम द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3527 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

फरवरी 2025 माह के लिए पोषण ट्रैकर से बच्चों के लिए कुपोषण संकेतकों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:

| क्र.सं. | राज्य | ठिगनापन % (0-6 वर्ष) | दुबलापन % (0-5 वर्ष) | अल्प वजन % (0-6 वर्ष) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 18.25 | 4.83 | 8.46 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 35.08 | 4.54 | 10.76 |
| 3 | असम | 40.52 | 4.12 | 16.63 |
| 4 | बिहार | 45.98 | 9.58 | 24.53 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 25.04 | 6.96 | 14.23 |
| 6 | गोवा | 7.42 | 1.1 | 2.80 |
| 7 | गुजरात | 35.28 | 7.95 | 21.30 |
| 8 | हरियाणा | 25.86 | 4.17 | 8.76 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 18.49 | 2.07 | 6.76 |
| 10 | झारखंड | 42.87 | 6.39 | 19.63 |
| 11 | कर्नाटक | 40.79 | 3.68 | 18.86 |
| 12 | केरल | 34.97 | 2.93 | 10.41 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 44.81 | 7.04 | 26.79 |
| 14 | महाराष्ट्र | 42.16 | 3.8 | 15.71 |
| 15 | मणिपुर | 8.54 | 0.66 | 2.61 |
| 16 | मेघालय | 18.73 | 0.92 | 4.95 |
| 17 | मिजोरम | 28.03 | 2.49 | 7.05 |
| 18 | नागालैंड | 28.90 | 5.61 | 7.12 |
| 19 | ओडिशा | 27.64 | 2.98 | 12.57 |
| 20 | पंजाब | 19.16 | 3.5 | 6.32 |
| 21 | राजस्थान | 38.21 | 6.31 | 19.32 |
| 22 | सिक्किम | 9.54 | 2.04 | 2.05 |
| 23 | तमिलनाडु | 13.10 | 3.46 | 6.35 |
| 24 | तेलंगाना | 33.56 | 5.25 | 16.45 |
| 25 | त्रिपुरा | 38.84 | 6.99 | 18.02 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 47.10 | 4.34 | 19.99 |
| 27 | उत्तराखंड | 23.55 | 2.4 | 6.49 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 33.05 | 6.57 | 11.21 |
| 29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 8.26 | 2.11 | 3.58 |
| 30 | दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव | 36.26 | 2.47 | 15.30 |
| 31 | दिल्ली | 42.82 | 2.51 | 18.23 |
| 32 | जम्मू एवं कश्मीर | 13.31 | 1.28 | 3.25 |
| 33 | लद्दाख | 9.88 | 0.19 | 1.62 |
| 34 | लक्षद्वीप | 40.61 | 11.86 | 22.20 |
| 35 | पुदुच्चेरी | 41.13 | 7.36 | 13.24 |
| 36 | संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़ | 24.74 | 1.66 | 9.28 |
| | **कुल** | **37.75** | **5.35** | **17.19** |

*****